मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 5 जुलाई, 1990 (आषाढ़ 14, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्‌तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुरेश सेठ, सदस्य, इन्दौर की एक दहेज पीड़ित महिला की हत्या के षड़यंत्र में शामिल व्यक्तियों पर अपेक्षित कार्यवाही न होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शिवराजसिंह, सदस्य, जम्मू कश्मीर से प्रदेश में आ रहे विस्थापितों के बसाहट की समुचित व्यवस्था न होने की ओर विधि एवं विधायी कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, सीधी के एक वन अधिकारी द्वारा हरिजन राजनैतिक कार्यकर्त्ता को जान से मारने की धमकी दिए जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक ग्रामों में फसलों पर इल्ली का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री नन्द कुमार सिंह चौहान, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है"

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल के शासकीय आवास गृह क्रमांक 23/5, 23/8, 24/11 से 24/18, 27/1 से 27/28 एवं 28/17 से 28/32 तक के सामने स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, जिला दुर्ग एवं रायपुर की कहार (भोई) जाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में सम्मिलित कर शासकीय सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 88 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

5. प्राक्कलन समिति में हुये रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उप नियम (2) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

6 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में हुये रिक्त दो स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उप नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यगण अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में हुये रिक्त दो स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन

श्री बलीराम कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यगण अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिसमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, अग्रसर हों."

निर्धारित समय	8. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)	
2 घंटे (शेष 1 घंटा 5 मिनट)	(1)	मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण. मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उप-योजना.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या 28 राज्य विधान मंडल. मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन. मांग संख्या 74 वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन—न्याय प्रशासन. मांग संख्या 72 गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय.
2 घंटे	(3)	मांग संख्या 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन. मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय. मांग संख्या 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय. मांग संख्या 35 पुनर्वास. मांग संख्या 51 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व.
1 घंटा	(4)	मांग संख्या 7 पृथक आगम विभाग से संबंधित व्यय.

भोपाल :
दिनांक 3 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.